



2nd - ग्रेड

वरिष्ठ अध्यापक

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

भाग - 3

पेपर 2 || सामाजिक विज्ञान

राजनीति विज्ञान



विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	राजनीति विज्ञान (Civics) – अर्थ एवं क्षेत्र	1
2	राज्य एवं उत्पत्ति के सिद्धांत	6
3	राजनीतिक मूल्य (समानता (Equality), स्वतंत्रता (Liberty), अधिकार (Rights))	16
4	संप्रभुता और बहुलवाद	32
5	लोकतंत्र और तानाशाही (अधिनायकवाद)	38
6	राजनीतिक विचारधाराएँ : व्यक्तिवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फासीवाद	51
7	संविधान एवं सरकार की अवधारणा	80
8	सरकार के अंग	90
9	भारतीय संविधान का निर्माण	101
10	भारतीय संविधान की विशेषताएँ	105
11	प्रस्तावना	110
12	राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश	112
13	नागरिकता	115
14	मूल अधिकार	117
15	नीति निदेशक सिद्धांत	122
16	मौलिक कर्तव्य	124
17	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति	125
18	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	131
19	संसद	133
20	संविधान संशोधन	140
21	न्यायपालिका	144

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
22	राज्य विधानमंडल	152
23	स्थानीय स्वशासन	158
24	संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक निकाय	165
25	आपातकालीन प्रावधान	169
26	राजनीतिक दल और दबाव समूह	171
27	भारत की विदेश नीति	173
28	संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO)	200
29	वैश्विक समूह	211

राजनीति विज्ञान (Civics) : अर्थ एवं क्षेत्र

- राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत वह क्षेत्र हैं जिसमें राज्य की स्थापना और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
- राजनीतिक सिद्धांत (Political Theory) राजनीति विज्ञान का वह भाग है जो राजनीतिक अवधारणाओं, मूल्यों, विचारों और संस्थाओं का विश्लेषण करता है। यह केवल सत्ता, सरकार और राज्य की समझ नहीं है, बल्कि यह नैतिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकारों की विवेचना भी करता है।
 - ✓ राजनीति शब्द 'ग्रीक' भाषा के शब्द Polis से लिया गया है, जिसका अर्थ है राज्य या नगर।
 - ✓ राजनीति का मूल उद्देश्य है – समाज में सत्ता का वितरण, उपयोग, और उसके प्रति लोगों की भागीदारी।
- जे. डब्ल्यू. गार्नर (J.W. Garner): "राजनीति का प्रारम्भ और अंत राज्य के साथ होता है।"
 - ✓ गार्नर के अनुसार राज्य ही राजनीति का केंद्र बिंदु है।
- आर. जी. गेटेल (R.G. Gettel): "राजनीति राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है।"
 - ✓ यह परिभाषा राज्य की निरंतर गतिशील प्रक्रिया को दर्शाती है।
- हेरोल्ड जे. लास्की (Harold J. Laski): "राजनीति के अध्ययन का संबंध मनुष्य के जीवन एवं एक संगठित राज्य से है।"
 - ✓ यह परिभाषा राजनीति को सामाजिक जीवन का हिस्सा मानती है।

- लासवेल और कप्लान की परिभाषा: "राजनीति विज्ञान सत्ता को आकार देने तथा उसमें भागीदारी का अध्ययन है।"
- ✓ इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति न केवल राज्य की गतिविधियाँ, बल्कि समाज में शक्ति और प्रभाव के स्वरूप का भी अध्ययन करती है।

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि

- "राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य, सरकार, शक्ति, अधिकार, कानून और नीति-निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है।" यह केवल सत्ता की राजनीति नहीं है, बल्कि समाज में न्याय, शांति और समानता को स्थापित करने का भी प्रयास है।

राज्य अनुभवजन्य, नियामक - दोनों दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करता है -

1. **आनुभविक (Empirical) दृष्टिकोण** – "क्या है?"
- ✓ यह दृष्टिकोण वास्तविक तथ्यों और घटनाओं पर आधारित होता है। अर्थात् तथ्यात्मक सत्य को प्रदर्शित किया जाता है।
- ✓ उदाहरण: भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। यह एक अनुभवजन्य तथ्य है जिसे पर्यवेक्षण (Observation) से सत्यापित किया जा सकता है।

2. नियामक (Normative) दृष्टिकोण – "क्या होना चाहिए?"

- ✓ यह आदर्शों और मूल्य पर आधारित होता है।
- ✓ इसमें यह उल्लेख किया जाता है कि समाज और राजनीति कैसी होनी चाहिए।
- ✓ उदाहरण: भारत को अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनानी चाहिए। यह एक मूल्य पर आधारित कथन है, जिसे सही या गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता।

राजनीति विज्ञान का विकास :

प्राचीन युग में राजनीति विज्ञान

- **ग्रीक काल में राजनीति का उद्भव :** राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले प्राचीन ग्रीस (यूनान) में शुरू हुआ। प्लेटो और अरस्तू जैसे महान दार्शनिकों ने राजनीति को नैतिकता और न्याय के संदर्भ में देखा। प्लेटो ने अपनी रचना 'गणराज्य' (Republic) में एक आदर्श राज्य की कल्पना की। उन्होंने न्याय, शिक्षा और दार्शनिक राजा की अवधारणा दी।
- **अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है।** उन्होंने "राजनीति" नामक ग्रंथ में 158 नगर-राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया और राजनीति को "सभी कलाओं में सर्वोच्च कला" कहा। उनके अनुसार, "मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है।"
- **राजनीति का नैतिक पक्ष :** प्राचीन काल में राजनीति को नैतिकता से जोड़कर देखा गया। राजनीति केवल शासन करने की कला नहीं थी, बल्कि यह एक आदर्श समाज की स्थापना का माध्यम मानी जाती थी। यह दृष्टिकोण आज भी राजनीतिक दर्शन में विद्यमान है।

मध्यकालीन राजनीति चिंतन

- **धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव :** मध्यकाल में राजनीति पर धर्म और चर्च का गहरा प्रभाव रहा। ईसाई धर्मगुरु सेंट ऑगस्टिन और सेंट थॉमस एक्विनास ने राज्य को ईश्वर की इच्छा का माध्यम बताया। राजनीति को ईश्वर प्रदत्त नियमों और धार्मिक नैतिकताओं के अधीन माना गया।
- **इस्लामी और भारतीय विचारधारा :** मध्यकालीन भारत में राजनीति का संबंध धर्म और नैतिकता से रहा। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' ने राज्य संचालन, युद्धनीति और कूटनीति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। वहीं इस्लामी राजनीतिक विचार में खिलाफ़त और न्याय आधारित शासन पर बल दिया गया।

आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान का विकास

- **धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उदय :** 16वीं और 17वीं शताब्दी के यूरोपीय पुनर्जागरण और प्रबोधन युग के साथ राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण बदलने लगा। धर्म से परे हटकर राज्य और सत्ता का तर्कसंगत विश्लेषण प्रारंभ हुआ।
- **सामाजिक अनुबंध सिद्धांत :** थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने समाज अनुबंध के सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके अनुसार राज्य एक समझौते का परिणाम है जो लोगों ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आपस में किया।
 - ✓ **हॉब्स** ने राज्य को "लेवायथन" कहा और पूर्ण संप्रभुता की बात की।
 - ✓ **लॉक** ने राज्य की सीमित शक्ति और नागरिक अधिकारों की रक्षा पर बल दिया।
 - ✓ **रूसो** ने सामान्य इच्छा (General Will) के अनुसार जनसंपन्न राज्य की संकल्पना दी।

औद्योगिक क्रांति और राज्य की भूमिका

18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य की भूमिका में परिवर्तन आया। अब राज्य केवल रक्षा और कानून तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया।

राजनीति विज्ञान अब श्रम, पूँजी, उत्पादन, और संसाधनों के वितरण जैसे विषयों पर भी चर्चा करने लगा। समाजवाद और पूँजीवाद जैसी विचारधाराओं ने राज्य की भूमिका पर गहन विमर्श को जन्म दिया।

व्यवहारवादी दृष्टिकोण

- **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई दिशा :** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण उभरा जिसे व्यवहारवाद कहा गया। इसने राजनीति को अनुभवजन्य (Empirical) और वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन करने की मांग की।
- **व्यवहारवाद की विशेषताएं**
 - ✓ राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करना
 - ✓ तथ्यों और आँकड़ों पर आधारित अध्ययन
 - ✓ राजनीतिक व्यवहार (voting, decision-making) का विश्लेषण
 - ✓ संस्थाओं की कार्यप्रणाली की व्याख्या
- **डेविड ईस्टन** ने राजनीति को एक "इनपुट-आउटपुट प्रणाली" के रूप में परिभाषित किया जिसमें समाज की मांगें और समर्थन राज्य में प्रवेश करती हैं और निर्णय व नीतियों के रूप में बाहर आती हैं।

समकालीन राजनीतिक चिंतन

- **मार्क्सवादी दृष्टिकोण :** कार्ल मार्क्स ने राज्य को एक "वर्गीय प्रभुत्व का औजार" माना। उनके अनुसार राज्य का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक वर्गों का अस्तित्व है। वे राजनीति को शोषण के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखते हैं।

- **उदारवाद और नवउदारवाद :** उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और संवैधानिक शासन की वकालत करता है। वहाँ नवउदारवाद ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और सीमित राज्य की भूमिका को बढ़ावा दिया।
- **नारीवादी, पारिस्थितिक और उत्तरआधुनिक दृष्टिकोण :** इन समकालीन विचारों ने राजनीति विज्ञान के दायरे को और विस्तृत किया। अब राजनीति विज्ञान में लैंगिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और विविधता आधारित प्रतिनिधित्व जैसे विषयों पर भी विचार किया जाता है।

राजनीति विज्ञान का क्षेत्र :

- राजनीति विज्ञान अपने आप में एक विशाल एवं बहुआयामी अध्ययन क्षेत्र है, जो न केवल राज्य, सरकार और शक्ति के स्वरूपों का विश्लेषण करता है, बल्कि इनकी कार्यप्रणालियों, अंतर-संबंधों तथा इनके प्रभावों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। इसी उद्देश्य से राजनीति विज्ञान को विभिन्न उपक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, ताकि इसकी जटिलता को बेहतर और सरल ढंग से समझा जा सके।

1. राजनीतिक सिद्धांत (Political Theory)

- राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का मूलभूत एवं बौद्धिक आधार है। इसमें न केवल शास्त्रीय चिंतन परंपराओं – जैसे प्लेटो, अरस्टू, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स आदि के विचारों का अध्ययन किया जाता है – बल्कि आधुनिक एवं समकालीन विचारकों की अवधारणाओं और सैद्धांतिक व्याख्याओं को भी स्थान दिया जाता है।
- यह क्षेत्र स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, सत्ता, लोकतंत्र आदि जैसे मूल राजनीतिक मूल्यों की व्याख्या करता है और इनकी व्यावहारिक उपयोगिता को समझने का माध्यम प्रदान करता है।

2. घरेलू राजनीति (Domestic Politics)

- इस क्षेत्र में राष्ट्र के भीतर घटित होने वाली राजनीतिक गतिविधियाँ, संस्थाएँ एवं प्रक्रियाएँ अध्ययन का केंद्र होती हैं। इसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय सरकार की संरचना, स्थानीय स्वशासन, चुनावी प्रणाली, राजनीतिक दल, मतदाता व्यवहार, जनमत, नीति निर्माण, तथा नागरिक सहभागिता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- यह अध्ययन हमारे लोकतांत्रिक तंत्र को बेहतर समझने में सहायक होता है।

3. तुलनात्मक राजनीति

- तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों की तुलना करता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद राजनीतिक विविधताओं तथा समानताओं का विश्लेषण करना होता है।
- यह क्षेत्र विभिन्न सरकारों के ढाँचों, शासन शैलियों, चुनावी प्रक्रियाओं, राजनीतिक संस्कृति और विकास मॉडलों की तुलनात्मक समीक्षा करता है ताकि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की शक्ति, कमजोरी या प्रभावशीलता को समझा जा सके।

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह क्षेत्र है जो विभिन्न राष्ट्रों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे संयुक्त राष्ट्र), बहुराष्ट्रीय निगमों, और अन्य वैश्विक संस्थाओं के बीच होने वाले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है।
- इसमें युद्ध और शांति अध्ययन, विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय कानून, वैश्वीकरण, सामरिक गठबंधन, शक्ति संतुलन, और विश्व राजनीति के मुद्दे शामिल होते हैं। यह क्षेत्र यह समझने में मदद करता है कि राष्ट्र-राज्य एक-दूसरे से किस प्रकार संवाद करते हैं और कैसे वैश्विक राजनीति आकार लेती है।

5. सार्वजनिक कानून (Public Law)

- सार्वजनिक कानून राजनीति विज्ञान और विधि (कानून) का संगम बिंदु है। इसमें उन सभी कानूनी ढाँचों, अधिकारों, दायित्वों, तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो राज्य और नागरिक के संबंधों को नियंत्रित करती हैं।
- इसके अंतर्गत संवैधानिक कानून, आपराधिक न्याय प्रणाली, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और न्यायिक समीक्षा जैसे विषय आते हैं। यह कानून और राजनीति के मध्य अंतर्संबंधों को समझने का आधार प्रदान करता है।

6. सार्वजनिक नीति (Public Policy)

- यह क्षेत्र नीति निर्माण की प्रक्रिया, उसके कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा प्रभाव का अध्ययन करता है। इसमें सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों जैसे शिक्षा नीति, पर्यावरण नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक कल्याण योजनाओं आदि की संरचना और प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जाता है।
- सार्वजनिक नीति के माध्यम से यह समझा जाता है कि शासन किस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव डालता है और किन आधारों पर निर्णय लिए जाते हैं।

7. लोक प्रशासन

- लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का वह क्षेत्र है जो नौकरशाही एवं प्रशासनिक प्रणाली की संरचना, कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता का अध्ययन करता है। यह सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन, विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक जवाबदेही, संगठनात्मक सिद्धांत, लोक सेवा, और नेतृत्व के प्रकारों को समझने में सहायता करता है।
- लोक प्रशासन में यह देखा जाता है कि किस प्रकार प्रशासनिक मशीनरी नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करती है और किस हद तक यह पारदर्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावशाली है।

राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति

राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति बहुआयामी होती है। यह न केवल विश्लेषण करता है, बल्कि समाज के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- **विवेचनात्मक** : राजनीतिक सिद्धांत सत्ता, अधिकार, और न्याय जैसी अवधारणाओं का गहराई से विश्लेषण करता है। यह समाज में इन तत्वों की भूमिका, संरचना और प्रभाव को समझने का माध्यम है। उदाहरण के लिए, यह प्रश्न करता है कि न्याय सभी के लिए समान है या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को ही लाभ देता है।
- **मूल्य-आधारित** : यह केवल तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं होता, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है। यह बताता है कि कौन-सी नीति 'उचित' है, न कि केवल 'उपयोगी'।
- **आलोचनात्मक** : यह परंपरागत मान्यताओं और व्यवस्थाओं की आलोचना करता है ताकि समाज में सुधार हो सके। जैसे – जाति आधारित असमानता या लिंग भेद पर प्रश्न उठाकर राजनीतिक सिद्धांत समाज को प्रगतिशील दिशा में ले जाता है।
- **मार्गदर्शक** : राजनीतिक सिद्धांत एक आदर्श समाज की कल्पना करता है – जैसे समता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित समाज – और नागरिकों को उस दिशा में सोचने व कार्य करने को प्रेरित करता है। यह केवल वर्तमान को नहीं देखता, बल्कि भविष्य को आकार देने का भी प्रयास करता है।

राजनीतिक सिद्धांत का महत्व

राजनीतिक सिद्धांत केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक रूप से समाज को दिशा देने का कार्य करता है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

- **सिद्धांत स्पष्टता लाते हैं** : राजनीतिक सिद्धांत हमें विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए – स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब पूरी तरह से बिना किसी प्रतिबंध के जीना है, या यह नियमों और कर्तव्यों के भीतर संतुलित जीवन जीना है? राजनीतिक सिद्धांत इन विचारों के गूढ़ पहलुओं को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं।
- **नीतियों की आलोचना में सहायक** : राजनीतिक सिद्धांत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों का मूल्यांकन करने का मानदंड प्रदान करते हैं।
- **जैसे – क्या कोई नीति न्याय को बढ़ावा देती है?** क्या वह समानता को सुदृढ़ करती है या भेदभाव को बढ़ाती है?
- **इस प्रकार यह सिद्धांत नागरिकों को जागरूक बनाता है** ताकि वे एक उत्तरदायी शासन की मांग कर सकें।
- **लोकतंत्र को सशक्त बनाना** : राजनीतिक सिद्धांत लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति सचेत करता है। एक जागरूक नागरिक ही अपने मताधिकार का समझदारी से प्रयोग करता है, सवाल पूछता है और लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है।
- **भविष्य की दिशा तय करना** : राजनीतिक सिद्धांत एक आदर्श समाज की कल्पना करता है – जहाँ समता, स्वतंत्रता, अहिंसा, और न्याय के मूल्य हों। इस कल्पना के माध्यम से यह समाज को भविष्य की ओर दिशा देता है और परिवर्तन की प्रेरणा बनता है।

राज्य एवं उत्पति के सिद्धांत

राज्यः

'राज्य' शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द 'स्टेट' (State) का हिन्दी रूपान्तर है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द 'पोलिस' (Polis) से हुई है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों को 'पोलिस' ही कहा जाता था। वर्तमान में नगर राज्यों का स्थान बड़े-बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है किन्तु राज्य आज भी उसी अवधारणा का घोतक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी 'राज्य' शब्द का प्रयोग हुआ है। राजनीति विज्ञान के विभिन्न विचारकों द्वारा 'राज्य' की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है। राज्य की परिभाषाओं के सम्बन्ध में इस विविधता को देखकर मैकाइवर ने आश्र्वय व्यक्त करते हुए कहा है कि "यह आश्र्वय की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएँ विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की हैं।" राज्य की परिभाषाओं की इस विविधता का कारण यह है कि राज्य के संगठन, उद्देश्य व कार्यों के विषय में अलग-अलग समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के विचार मान्य रहे हैं तथा उन्हीं विचारों के आधार पर राज्य की परिभाषाएँ दी जाती रही हैं।

- राज्य की प्रमुख परिभाषाओं को (1) प्राचीन, तथा (2) आधुनिक दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।
- राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु "राज्य" है।

प्राचीन विचारकों के अनुसार (According to Ancient Thinkers)

- प्राचीन विचारक राज्य को व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय मानते हैं जिसे व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित किया गया है।

- ✓ अरस्तू के अनुसार, "राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्व और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"
- ✓ सिसरो के अनुसार, "राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर मिलकर उपभोग करना है।"
- ✓ सेण्ट अगस्टाइन के शब्दों में, "राज्य ऐसे व्यक्तियों की समझौते द्वारा निर्मित संस्था है, जिन्होंने अपना संगठन विधि और कर्तव्यों के प्रयोगों और पूर्ति के लिए तथा पारस्परिक सम्पर्क के लाभ की प्राप्ति के लिए बनाया है।"
- प्राचीन विचारकों द्वारा की गई 'राज्य' की परिभाषाएँ कानूनी होने की अपेक्षा नैतिक अधिक हैं। इनसे राज्य के यथार्थ रूप पर प्रकाश नहीं पड़ता।

आधुनिक विचारकों के आधार पर राज्य -

- "राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है।" - ब्लंशली
- "राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय है, जो साधारणतया बड़ी संख्या में हों, जिसका एक निश्चित भू-भाग पर स्थायी अधिकार हो, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और जिसकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता स्वभाव से करती हो।" - गार्नर
- राज्य एक "ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो सरकारों तथा प्रजाओं में विभाजित है, चाहे वे व्यक्तिगत हों या उनके समूह तथा जिनके संबंधों को एक दमनकारी शक्ति के प्रयोग से मजबूत किया जाता है।" - लास्की

- राज्य एक निश्चित भू-भाग में कानून द्वारा संगठित लोगों का समुदाय है।" - बुड़ो विल्सन
- राज्य "राजनीति विज्ञान की एक संकल्पना है, एवम् एक नैतिक वास्तविकता है जो सरकार के अंतर्गत एक निश्चित भू-भाग पर निवास करने वाले चन्द लोगों में निवास करती है। यह आंतरिक मामलों में लोगों की सम्प्रभुता व्यक्त करने वाला अंग है तथा वाह्य मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र है।" - गिलक्रिस्ट

राज्य के घटक :

विभिन्न विचारकों ने राज्य के तत्वों के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं।

- सिजविक ने राज्य के-तीन आवश्यक तत्व बताये हैं-
 - ✓ जनता
 - ✓ भू-भाग
 - ✓ सरकार
- ब्लंटशली के अनुसार, राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं।
 - ✓ भू-भाग
 - ✓ जनता
 - ✓ एकता
 - ✓ संगठन
- गैटिल - निम्नलिखित चार तत्व राज्य के लिए आवश्यक माने हैं।
 - ✓ जनता,
 - ✓ प्रदेश
 - ✓ सरकार
 - ✓ सम्प्रभुता
- डॉ. गार्नर के अनुसार, राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं-
 - ✓ मनुष्यों का समुदाय,
 - ✓ एक प्रदेश, जिसमें वे स्थायी रूप से निवास करते हैं,
 - ✓ आन्तरिक सम्प्रभुता तथा बाहरी नियन्त्रण से स्वतन्त्रता,
 - ✓ जनता की इच्छा को कार्यरूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन।

- वर्तमान में डॉ. गार्नर के विचारों को ही मान्यता प्राप्त है।
- राज्य के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :

जनसंख्या (Population) -

- राज्य का सर्वप्रथम तथा आवश्यक तत्व है - **जनसंख्या।**
- राज्य मनुष्यों का ही एक संगठन है। व्यक्तियों से ही मिलकर राज्य का निर्माण होता है।
- जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि जनसंख्या न हो तो कौन शासक होगा और प्रजा कहाँ से आयेगी।
- राज्य का अस्तित्व मानव तत्व के अस्तित्व पर ही आश्रित है। **मानव राज्य की आधारशिला है।**
- मनुष्य राज्य का कच्चा माल है। अतः राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या का होना नितान्त आवश्यक है।
- अतः सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं।
- राज्य के तत्व के रूप में जनसंख्या की व्याख्या करने में सामान्यतः दो प्रश्न उपस्थित होते हैं।
 - ✓ पहला, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए तथा दूसरा जनसंख्या कैसी होनी चाहिए।
 - ✓ किसी राज्य के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में विद्वानों के विचारों में मतभेद हैं।
- प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में बताया है कि एक आदर्श राज्य में 5,040 नागरिक ही होने चाहिए। अरस्तू के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए।
- हिटलर और मुसोलिनी के अनुसार, राज्य एक शक्ति है और यह शक्ति भली प्रकार से कार्य कर सके, इसके लिए अधिकतम जनसंख्या का होना आवश्यक है।

- वास्तव में जनसंख्या राज्य के संगठन के निर्माण के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए और वह वहाँ के प्राकृतिक साधनों तथा प्रदेश के अनुपात में होनी चाहिए।
- राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में डॉ. गार्नर का कथन सत्य है कि "जनता राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए तथा यह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी के लिए भूखण्ड तथा राज्य के साधन पर्याप्त हों।"
- वर्तमान में भारत, चीन, अमेरिका जैसे करोड़ों जनसंख्या वाले राज्य भी हैं तथा सेनेटरिनों तथा मोनाकों जैसे कुछ हजार की जनसंख्या वाले राज्य भी हैं।
- **राज्य की जनसंख्या** अर्थात् जनता कैसी हो, इसका राजनीतिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। चूँकि जनता के स्वरूप पर ही राज्य का स्वरूप निर्भर करता है। अतः इस सम्बन्ध में संस्था की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण हैं। राज्य के नागरिक शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होने चाहिए।
- **अरस्तू के शब्दों में**, "श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि नागरिक चरित्रवान हों।"

निश्चित भू-भाग -

- निश्चित भू-भाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। निश्चित भू-भाग के अभाव में मनुष्यों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। ब्लंटशली के शब्दों में, "जैसे राज्य का वैयक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार प्रदेश है।"
- जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती, जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश न हो।"

- **गार्नर के शब्दों में**, "ऐसी (फिरन्दर) अवस्था से लोग निर्माण की प्रक्रिया में राज्य हो सकते हैं परन्तु वे तब तक राज्य नहीं होते जब तक वे स्थायी रूप से किसी निश्चित खण्ड पर स्थिर न हो जायें।"
- राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में निश्चित भू-भाग से अभिप्राय केवल भू-क्षेत्र से ही नहीं है अपितु इसके अन्तर्गत उस प्रदेश में विद्यमान नदियाँ, सरोवर, झीलें, खनिज पदार्थ, समुद्र तटों से 12 मील तक का समुद्र तथा राज्य की सीमा के अन्तर्गत आने वाला वायुमण्डल भी सम्मिलित है।
- राज्य का क्षेत्र कितना होना चाहिए, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं। प्लेटो, अरस्तू, रूसो, डी. टाकविल आदि छोटे राज्यों के पक्षधर हैं।
- वर्तमान में राज्य का कम क्षेत्र होना हानिकारक समझा जाता है। क्योंकि कम क्षेत्र वाले राज्य आर्थिक तथा जैविक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं।
- आधुनिक युग में संघवाद की व्यवस्था के कारण बड़े राज्यों की स्थापना को बल मिला है। उत्पादन तथा जनशक्ति की दृष्टि से विशाल आकार वाले राज्य छोटे राज्यों से प्रायः बढ़कर ही होते हैं।
- राज्य के आकार के विषय में यह कहा जा सकता है कि राज्य की जनसंख्या तथा क्षेत्र के बीच कोई अनुपात अवश्य होना चाहिए अन्यथा राज्य की प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी। साथ ही राज्य का समस्त क्षेत्र परस्पर भली प्रकार से सम्बन्धित होना चाहिए।
- राज्य के विभिन्न टुकड़ों के बीच किसी प्रकार की प्राकृतिक बाधाएँ या किसी दूसरे राज्य का क्षेत्र नहीं होना चाहिए। यदि किसी राज्य के क्षेत्र एक दूसरे से दूरी पर हों तो उसकी एकता को खतरा हो सकता है। सन् 1947 में पाकिस्तान का क्षेत्र त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उस पाकिस्तान राज्य के दो भाग पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान एक-दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित थे। यही दूरी पाकिस्तान के विघटन का कारण बनी।

सरकार (Government)

- सरकार राज्य का संगठनात्मक अंग है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य—न्याय, शांति, और नीति—प्राप्त किए जाते हैं। बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता।
 - ✓ गैटिल के अनुसार, “सरकार के बिना जनसंख्या अराजक भीड़ बन जाएगी।”
 - ✓ गार्नर के अनुसार, “सरकार राज्य का वह उपकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ और निर्णय लागू होते हैं।”
- सरकार के अंग:
 - ✓ व्यवस्थापिका (Legislature)
 - ✓ कार्यपालिका (Executive)
 - ✓ न्यायपालिका (Judiciary)
- सरकार के रूप: सरकार विभिन्न रूपों में हो सकती है—राजतंत्र (जैसे सऊदी अरब), लोकतंत्र (जैसे भारत), समाजवाद (जैसे चीन), या सैन्य शासन (जैसे लीबिया)। वर्तमान में सरकार की भूमिका केवल शांति और रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोककल्याणकारी कार्यों में भी सक्रिय है।

संप्रभुता (Sovereignty)

- संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक विशिष्ट और अनिवार्य तत्व है। यह राज्य को किसी बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र बनाती है और आंतरिक रूप से सर्वोच्च अधिकार देती है।
- गैटिल कहते हैं, “संप्रभुता ही वह तत्त्व है जो राज्य को अन्य संगठनों से अलग करता है।”
- उदाहरण: स्वतंत्रता से पूर्व भारत संप्रभु नहीं था, अतः वह एक पूर्ण राज्य नहीं था।

संप्रभुता के दो पक्षः

- ✓ आंतरिक संप्रभुता – राज्य के भीतर सर्वोच्चता
 - ✓ बाह्य संप्रभुता – किसी अन्य राष्ट्र या शक्ति से स्वतंत्रता
- यदि कोई राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में भाग लेता है या कोई समझौता करता है, तो यह उसकी संप्रभुता को समाप्त नहीं करता। यह उसकी इच्छा का प्रतीक होता है।

राज्य का सिद्धांत

राज्य का सिद्धांत राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति और कार्यों के अध्ययन और विश्लेषण को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य समाज में राज्य की भूमिका, व्यक्तियों और अन्य संस्थानों के साथ इसके संबंधों और इसके अस्तित्व और संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को समझना है। राज्य का सिद्धांत राजनीतिक प्रणालियों और शक्ति के अभ्यास को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

राज्य के सिद्धांत की उत्पत्ति

- प्राचीन ग्रीक राजनीतिक विचार: राज्य का सिद्धांत प्राचीन ग्रीक राजनीतिक विचारों में अपनी जड़ें पाता है, विशेष रूप से प्लेटो और अरस्तू जैसे दार्शनिकों के कार्यों में। उन्होंने समाज को संगठित करने और न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक संस्था के रूप में राज्य की अवधारणा का पता लगाया।
- मध्यकालीन राजनीतिक विचार: मध्य युग के दौरान, थॉमस एक्विनास जैसे राजनीतिक सिद्धांतकारों ने धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य के सिद्धांत को विकसित किया। उन्होंने राजनीतिक प्राधिकरण की दिव्य उत्पत्ति और व्यवस्था बनाए रखने और आम अच्छे को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका पर जोर दिया।

- **आधुनिक राजनीतिक विचार:** ज्ञानोदय काल के दौरान राज्य के सिद्धांत में महत्वपूर्ण विकास हुए। थॉमस हॉब्स, जॉन लोके और जीन-जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति और उद्देश्य पर विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। हॉब्स ने अराजकता को रोकने के लिए एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के लिए तर्क दिया, लोके ने व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया, और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की।
- **कानूनी और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य:** राज्य के सिद्धांत में कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण भी शामिल हैं। कानूनी सिद्धांतकार कानूनी ढांचे का विश्लेषण करते हैं जिसके भीतर राज्य संविधान, कानून और न्यायिक प्रणाली सहित संचालित होता है। वे राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों के साथ-साथ राज्य शक्ति की सीमाओं और दायरे की जांच करते हैं।
- **तुलनात्मक राजनीति:** तुलनात्मक राजनीति राज्य के सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और देशों और क्षेत्रों में उनकी विविधताओं का अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य राज्यों के कामकाज में पैटर्न, समानता और अंतर की पहचान करना है, जो राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को आकार देने वाले कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत :

1. दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत (Theory of Divine Origin):-

- यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं अपितु ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। ईश्वर राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है अतः वह ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है।

- राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य है। यहूदी धर्म ग्रन्थ के अनुसार स्वयं ईश्वर ने अपनी जनता पर राज किया, मिस्र में राजा को सूर्यदेव का पुत्र कहा गया, चीन में सम्राट को स्वर्ग पुत्र माना गया, बाइबिल के अनुसार सत्ता ईश्वर के आदेश से बनी।
- राज्य विकास में यह सिद्धांत मनुष्य के योगदान की उपेक्षा करता है जबकि राज्य के विभिन्न स्वरूप का परिवर्तन मानवीय लक्षण है, ईश्वरीय नहीं।
- आज के वैज्ञानिक और प्रगतिशील विश्व ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, जबकि प्रारम्भिक समय में यह सिद्धांत अत्यन्त उपयोगी रहा।
- गिलक्राइस्ट के शब्दों में "यह सिद्धांत चाहे कितना ही गलत और विवेकशून्य क्यों न हो, अराजकता के अन्त का श्रेय इसे अवश्य ही जाता है।"

2. शक्ति सिद्धांत (Force Theory):-

- शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासन शक्ति पर आश्रित हैं। जब शक्ति सम्पन्न लोगों ने अपनी शक्ति द्वारा निर्बलों को अपने अधीन कर लिया, तब राज्य की उत्पत्ति हुई। शक्ति सिद्धांत के अनुसार मानव विकास के प्रारम्भ में कुछ शक्तिशाली मनुष्यों ने निर्बल मनुष्यों को अपने अधीन कर लिया।
- शक्तिशाली समूह का नेता पराजित समूह का भी नेता बन गया। धीरे-धीरे वही नेता इन समूहों का शासक हो गया। इसी क्रम से जनपद, राज्य व साम्राज्य उत्पन्न हुए। सभी राज्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस सिद्धांत का न्यूनाधिक समर्थन करते हैं। इससे निरंकुशता को प्रोत्साहन मिला है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में भी शक्ति के आधार पर राजा की स्थापना की बात कही गई है।

- जैसे-ऐतरेय ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि देवों और दानवों के युद्ध में जब देवता पराजित हो गए तो उन्होंने शक्तिशाली इन्द्र को अपना राजा बनाया और उसके नेतृत्व में विजय प्राप्त की।
- मध्य युग में भी राजा को पाश्विक शक्ति का परिणाम बताया गया। पोप ग्रेगरी सप्तम के अनुसार, "राजाओं और सामन्तों की उत्पत्ति उन क्रूर आत्माओं से हुई है जो परमात्मा को भूलकर उद्धण्डता, लूटमार, कपट, हत्या और प्रत्येक अपराध से संसार के शासक के रूप में बुराई का प्रसार करते हुए अपने साथी मनुष्यों पर मदांधता और असहनीय धारणा के साथ राज्य करते रहे हैं।"
- आधुनिक युग में ट्रीटस्के, बनहार्डी, मारगेंथो तथा नीत्शे आदि विचारकों ने भी शक्ति सिद्धान्त का समर्थन किया
- यद्यपि यह सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है तथा राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति अनिवार्य है तथापि हमें स्वीकर करना पड़ेगा कि केवल शक्ति के प्रयोग से ही राज्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं हुई है। इसमें लोक कल्याण तथा जनमत की उपेक्षा की जाती है। फलतः राज्यास्था नहीं पनपती और राष्ट्रत्व के गुण उत्पन्न नहीं होते।

3. सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त (Social Contract Theory):-

- इस सिद्धान्त के अनुसार जब राज्य नहीं था तब प्राकृतिक अवस्था से समुदाय के लोग तंग आ गए और मिल जुलकर एक समझौता किया जिसके आधार पर राज्य का जन्म हुआ। इस सिद्धान्त का सूत्रपात 17वीं व 18वीं शताब्दी में हुआ और थॉमस हॉब्स, लॉक, जीन जेक्स रूसो इसके प्रबल समर्थक रहे। हॉब्स समझौते से पूर्व मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था को दुखद व असुरक्षित बताता है जबकि लॉक इस अवस्था को सुख, शान्ति व पारस्परिक आदर पर आधारित मानते हैं।

- हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था 'शक्ति ही सत्य है' की धारणा पर आधारित है।
- हॉब्स के शब्दों में "वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी कोई विद्या नहीं थी कोई भवन निर्माण कला न थी और न कोई समाज था। मानव जीवन अत्यन्त दीन मालिन, पाश्विक तथा अल्पकालिक था।" अतः मनुष्यों ने अपने जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा करके अपने दुखी जीवन से छुटकारा पाने के लिए परस्पर एक समझौता किया और एक राजनीतिक समाज का निर्माण हुआ।
- लॉक के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य सुख और शान्ति का जीवन व्यतीत करता था। वह उस समय के नियम, "तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो" का पालन करते थे। लॉक के अनुसार, इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई सभा नहीं थी तथा इन नियमों का पालन करवाने वाली शक्ति का अभाव था।
- अतः समझौता द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। रूसो ने हॉब्स तथा लॉक के सिद्धान्तों के मध्य समन्वय स्थापित किया तथा बताया कि राज्य की उत्पत्ति की अवस्था मानव अधिकारों के उपयोग हेतु आदर्श थी, किन्तु कालान्तर में जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था से शिष्ट अवस्था की ओर अग्रसर होने को बाध्य होना पड़ा।

4. विकासवादी सिद्धान्त (Evolutionary Theory):-

- राज्य का विकास धीरे-धीरे हुआ है। राज्य के विकास में निम्नांकित तत्व सहायक हैं:
- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने की मूल प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया।

- अरस्तू के शब्दों में "यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में न रह सकता हो अथवा जो यह कहता है कि मुझे केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर है या देवता।"
- रक्त सम्बन्ध ने जातियों और कुलों को एकता के बन्धन में बांधा और उन्हें संगठन का रूप दिया तथा दृढ़ता प्रदान की। सामाजिक संगठन रक्त सम्बन्ध से ही उत्पन्न होता है।
- धर्म ने समाज को एकता के बन्धन में बांधा है। प्रारम्भिक समाज में रक्त सम्बन्ध तथा धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे। धर्म संगठन एवं एकता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। धर्म ने मनुष्य को अनुशासन तथा आज्ञापालन का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार धर्म ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- राज्य के विकास में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का कार्य युद्ध द्वारा ही किया गया। युद्ध विजय और आज्ञापालन के फलस्वरूप कुटुम्ब जाति में, जाति कबीलों में तथा कबीले बड़े संगठनों में विस्तृत होते गए तथा राज्य का रूप धारण करते गए।
- राज्य की उत्पत्ति एवं विकास में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्लेटो, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ और माण्टेस्क्यू ने भी राज्य की उत्पत्ति एवं विकास में आर्थिक तत्वों के योगदान को स्वीकार किया है।
- राज्य के विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना है।

विचारकों के परिप्रेक्ष्यः

- **कौटिल्य का राज्य का सिद्धांतः**
 - ✓ कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और मौर्य सम्राट् चंद्रगुप्त के सलाहकार थे।
 - ✓ वह एक मजबूत और केंद्रीकृत राज्य की अवधारणा में विश्वास करते थे, जहां शासक पूर्ण शक्ति रखता है।
 - ✓ कौटिल्य के अनुसार, राज्य का प्राथमिक उद्देश्य अपने नागरिकों का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
 - ✓ उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सुव्यवस्थित नौकरशाही और कुशल प्रशासन के महत्व पर जोर दिया।
- **गांधी का राज्य का सिद्धांतः**
 - ✓ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी का राज्य के सिद्धांत पर एक अनूठा दृष्टिकोण था।
 - ✓ वह एक विकेंद्रीकृत राज्य की अवधारणा में विश्वास करते थे, जहां स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों के बीच शक्ति वितरित की जाती है।
 - ✓ गांधी ने स्वराज (स्व-शासन) के विचार को बढ़ावा देते हुए जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता और स्वशासन की वकालत की।
 - ✓ उन्होंने राज्य के कामकाज में अहिंसा, सत्य और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया।
- **अम्बेडकर का राज्य का सिद्धांतः**
 - ✓ भारत के संविधान के निर्माता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का राज्य के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।

- ✓ उन्होंने राज्य के कामकाज में सामाजिक न्याय और समानता के महत्व पर जोर दिया।
 - ✓ अम्बेडकर ने हाशिए के समुदायों, विशेष रूप से दलितों (जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था) के अधिकारों के संरक्षण की वकालत की।
 - ✓ वह एक लोकतांत्रिक राज्य में विश्वास करते थे जो समान अवसर सुनिश्चित करता है और सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करता है।
- **थॉमस हॉब्स का राज्य का सिद्धांत:**
- ✓ थॉमस हॉब्स, एक अंग्रेजी दार्शनिक, सामाजिक अनुबंध के अपने सिद्धांत और लेविथान की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं।
 - ✓ हॉब्स ने तर्क दिया कि प्रकृति की स्थिति में, मानव जीवन एकान्त, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा होगा।
 - ✓ उनका मानना था कि व्यक्ति स्वेच्छा से सुरक्षा और सुरक्षा के बदले में अपने कुछ अधिकारों को एक संप्रभु प्राधिकरण (लेविथान) को सौंप देते हैं।
 - ✓ हॉब्स के अनुसार, राज्य की प्राथमिक भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अराजकता की स्थिति को रोकना है।
- **जॉन लॉक का राज्य का सिद्धांत:**
- ✓ जॉन लॉके, एक अंग्रेजी दार्शनिक, प्राकृतिक अधिकारों और सीमित सरकार के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं।
 - ✓ लॉक ने तर्क दिया कि व्यक्तियों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, जिनकी रक्षा राज्य को करनी चाहिए।
 - ✓ वह एक सामाजिक अनुबंध की अवधारणा में विश्वास करते थे, जहां सरकार की शक्ति शासितों की सहमति से प्राप्त होती है।

- ✓ लोके ने एक सीमित सरकार की वकालत की जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करती है और अगर वह अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है तो उसे उखाड़ फेंका जा सकता है।
- **कार्ल मार्क्स का राज्य का सिद्धांत:**
- ✓ कार्ल मार्क्स, एक जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री, राज्य के सिद्धांत पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था।
 - ✓ मार्क्स का मानना था कि राज्य शासक वर्ग का एक उपकरण है जो अपने प्रभुत्व को बनाए रखता है और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करता है।
 - ✓ उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सामाजिक असमानता को बनाए रखते हुए उत्पीड़न और शोषण के साधन के रूप में कार्य करता है।
 - ✓ मार्क्स ने एक वर्गहीन समाज की कल्पना की थी जहां राज्य सूख जाएगा, क्योंकि यह अब कम्युनिस्ट व्यवस्था में आवश्यक नहीं होगा।
- राज्य के सिद्धांत की अवधारणा:**
- राज्य का सिद्धांत राजनीति विज्ञान की एक शाखा है जो राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति और कार्यों को समझाने और समझाने का प्रयास करता है। यह राज्य और समाज के बीच संबंधों, राज्य शक्ति के स्रोतों और राजनीतिक और सामाजिक परिणामों को आकार देने में राज्य की भूमिका की जांच करता है।
- **राज्य की प्रकृति:** राज्य का सिद्धांत राज्य की प्रकृति पर विभिन्न दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है, जिसमें वैध हिंसा पर एकाधिकार के साथ एक संप्रभु इकाई के रूप में राज्य के शास्त्रीय दृष्टिकोण से लेकर अधिक आधुनिक विचार शामिल हैं जो राज्य को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों द्वारा आकार दिए गए सामाजिक निर्माण के रूप में जोर देते हैं।

- **राज्य की उत्पत्ति:** राज्य के सिद्धांत का यह पहलू राज्य की उत्पत्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों और स्पष्टीकरणों की जांच करता है। यह सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जैसे सिद्धांतों की जांच करता है, जो बताता है कि राज्य अपने पारस्परिक लाभ के लिए एक राजनीतिक समुदाय बनाने के लिए व्यक्तियों के बीच एक स्वैच्छिक समझौते के परिणामस्वरूप उभरा।
- **राज्य के कार्य:** राज्य का सिद्धांत समाज में राज्य के कार्यों और भूमिकाओं की भी जांच करता है। यह राज्य की उचित भूमिका पर विभिन्न दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है, जिसमें न्यूनतम विचारों से लेकर जो अर्थव्यवस्था और समाज में सीमित राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करते हैं, अधिक हस्तक्षेपवादी विचारों तक जो सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय राज्य की भूमिका के लिए तर्क देते हैं।
- **राज्य शक्ति:** राज्य के सिद्धांत का यह पहलू राज्य शक्ति के स्रोतों और अभ्यास पर केंद्रित है। यह सत्ता के विभिन्न सिद्धांतों की पड़ताल करता है, जैसे कि बहुलवादी दृष्टिकोण कि शक्ति विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बिखरी हुई है, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण है कि सत्ता शासक वर्ग के हाथों में केंद्रित है।
- **राज्य-समाज संबंध:** राज्य का सिद्धांत राज्य और समाज के बीच जटिल संबंधों की भी जाँच करता है। यह पता लगाता है कि राज्य विभिन्न सामाजिक समूहों, जैसे कि हिंदू समूहों, सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ कैसे बातचीत करता है, और ये बातचीत राजनीतिक परिणामों को कैसे आकार देती है।

- **राज्य और वैश्वीकरण:** राज्य के सिद्धांत का यह पहलू राज्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव की पड़ताल करता है। यह जांच करता है कि वैश्वीकरण ने राज्य की पारंपरिक सीमाओं और कार्यों को कैसे चुनौती दी है, और राज्यों ने अपनी नीतियों और संस्थानों को अपनाकर इन चुनौतियों का जवाब कैसे दिया है।

- **राज्य और लोकतंत्र:** राज्य का सिद्धांत राज्य और लोकतंत्र के बीच संबंधों की भी जांच करता है। यह लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों की पड़ताल करता है, जैसे कि उदार लोकतंत्र और विचारशील लोकतंत्र, और जांच करता है कि राज्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और परिणामों को कैसे बढ़ावा दे सकता है या बाधित कर सकता है।

विभिन्न सिद्धांत:

- **उदारवाद (जॉन लोके):** लोके के अनुसार, राज्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और आम अच्छे को बढ़ावा देने के लिए मौजूद है। यह सीमित सरकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शासितों की सहमति पर जोर देता है।
- **मार्क्सवाद (कार्ल मार्क्स):** मार्क्स ने राज्य को शासक वर्ग के एक उपकरण के रूप में देखा ताकि वे अपनी शक्ति बनाए रख सकें और श्रमिक वर्ग पर नियंत्रण कर सकें। उनका मानना था कि राज्य अंततः एक वर्गहीन समाज में समाप्त हो जाएगा।
- **यथार्थवाद (निकोलो मैकियावेली):** मैकियावेली ने तर्क दिया कि राज्य का प्राथमिक लक्ष्य शक्ति और सुरक्षा बनाए रखना है, भले ही इसके लिए अनैतिक या अनैतिक कार्यों की आवश्यकता हो। उन्होंने एक मजबूत और केंद्रीकृत राज्य के महत्व पर जोर दिया।

- **सामाजिक अनुबंध सिद्धांत (जीन-जैक्स रूसो):** रूसो ने प्रस्तावित किया कि राज्य व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध का परिणाम है, जहां वे स्वेच्छा से सुरक्षा और आम अच्छे के बदले में कुछ स्वतंत्रता छोड़ देते हैं।
- **नारीवाद (सिमोन डी बेवॉयर):** राज्य पर बेवॉयर का नारीवादी दृष्टिकोण शासन की पितृसत्तात्मक प्रकृति और लैंगिक समानता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। उन्होंने राज्य को आकार देने में महिलाओं की आवाज और अनुभवों को शामिल करने का तर्क दिया।
- **उत्तर-उपनिवेशवाद (फ्रांत्ज़ फैनन):** फैनन का सिद्धांत राज्य पर उपनिवेशवाद के प्रभाव पर केंद्रित है। उन्होंने उपनिवेशवाद की समाप्ति और स्वदेशी संस्कृतियों और पहचानों की बहाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

समकालीन प्रासंगिकता (भारत और विश्व के संदर्भ में)

- **आपातकाल (1975-1977):** इस अवधि के दौरान, हिन्दोस्तानी राज्य ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया और अधिनायकवादी शासन लागू कर दिया। यह केस स्टडी राज्य शक्ति की सीमाओं और लोकतांत्रिक प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन के महत्व को समझने में मदद करती है।

- **नक्सली आंदोलन:** भारत में नक्सली आंदोलन कुछ क्षेत्रों में राज्य के अधिकार और शासन के लिये एक चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। यह केस स्टडी आंतरिक सुरक्षा खतरों और आतंकवाद विरोधी अभियानों की जटिलताओं के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने में मदद करता है।
- **ब्रेक्सिट:** यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए यूनाइटेड किंगडम का निर्णय अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य की भूमिका और राज्य संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सवाल उठाता है। यह केस स्टडी राष्ट्रीय और सुपरनैशनल शासन के बीच तनाव का विश्लेषण करने में मदद करती है।
- **अरब स्प्रिंग:** ठ्यूनीशिया, मिस्र और सीरिया जैसे कई अरब देशों में विद्रोह, राजनीतिक परिवर्तन में राज्य की भूमिका और लोकतांत्रिक संक्रमण की चुनौतियों को उजागर करते हैं। यह केस स्टडी राज्य-समाज संबंधों की गतिशीलता और राजनीतिक परिवर्तन की जटिलताओं को समझने में मदद करती है।
- **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल:** चीन की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आर्थिक विकास और वैश्विक शासन में राज्य की भूमिका के बारे में सवाल उठाती है। यह केस स्टडी क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक संबंधों को आकार देने के लिए राज्य की क्षमता का विश्लेषण करने में मदद करता है।

स्वतंत्रता (Liberty)

स्वतंत्रता उदारवाद की मूलभूत धारणा है। यह व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने, विचार रखने, और कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। स्वतंत्रता का अर्थ है – किसी के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त रहकर अपनी इच्छाओं और क्षमताओं का विकास करना। यह एक ऐसा राजनीतिक मूल्य है जो लोकतंत्र का आधार है और नागरिक अधिकारों की बुनियाद है।

स्वतंत्रता को आधुनिक लोकतंत्रों की आत्मा कहा गया है क्योंकि यह नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, कार्य और जीवनशैली की स्वायत्तता प्रदान करती है। स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना होता है।

- ‘स्वतंत्रता’ शब्द दो भागों से मिलकर बना है — ‘स्व’ अर्थात् स्वयं और ‘तंत्र’ अर्थात् शासन प्रणाली। अतः स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ है – आत्म-नियंत्रण या अपनी इच्छा से कार्य करने की क्षमता।
- अर्थ: स्वतंत्रता का तात्पर्य है – व्यक्ति द्वारा बिना किसी बाहरी या आंतरिक बंधन के सोचने, बोलने, कार्य करने और जीवन जीने की स्वायत्तता।

प्रमुख विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता पर मत :

- थॉमस हॉब्स का मानना था कि स्वतंत्रता केवल उस सीमा तक हो सकती है जहाँ राज्य का कानून नहीं है।
- जॉन लॉक ने स्वतंत्रता को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया और सीमित सरकार का समर्थन किया।

- जे. एस. मिल ने स्वतंत्रता को तब तक उचित माना जब तक वह किसी अन्य व्यक्ति को हानि न पहुँचाए।
- रूसो का विचार था कि स्वतंत्रता सामाजिक अनुबंध के माध्यम से सामान्य इच्छा के अनुसार ही प्राप्त हो सकती है।
- अमर्त्य सेन ने स्वतंत्रता को केवल विकल्पों की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि उन्हें प्राप्त करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया।

स्वतंत्रता के प्रकार :

- **व्यतिगत स्वतंत्रता :** किसी व्यक्ति की सोंच और उसके कार्यों पर सरकार और समाज द्वारा अनुचित प्रतिबंध मुक्त व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाता है।
- **राजनैतिक स्वतंत्रता :** व्यक्ति को अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए मतदान का अधिकार उसे किसी पार्टी या दल बनाने या उसमें शामिल होने का अधिकार और विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने का अधिकार ये सभी राजनैतिक स्वतंत्रता कहलाती हैं।
- **आर्थिक स्वतंत्रता :** भूख और निर्धनता से मुक्ति तथा कोई भी व्यापार या व्यवसाय चुनने का अधिकार आदि आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :** किसी व्यक्ति या समाज के भावनाओं को ठेस पहुँचायें बिना अपनी बात या अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं।

"लॉन्ग वाक टू फ्रीडम" पुस्तक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गयी है।
 "फ्रीडम फ्रॉम फियर" पुस्तक आँग सान सू की के द्वारा लिखी गयी है। वे म्यांमार कि रहने वाली थी।
 "ऑन लिबर्टी" पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी है।

हानि का सिद्धांत :

- जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 'ऑन लिबर्टी' में जिस मुद्दे को उठाया है राजनितिक सिद्धांत में उसे हानि-सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
- इस सिद्धांत के अनुसार : "किसी के कार्य करने कि स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्म रक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य कि इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एक मात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है।"

नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की भूमिका :

- लोकतान्त्रिक शासन
- मौलिक अधिकार
- कानून का शासन
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- शक्तियों का विकेंद्रीकरण
- शक्तिशाली विरोध दल
- आर्थिक समानता
- विशेषाधिकार न होना
- जागरूक जनता
- स्वतंत्र मीडिया

स्वतंत्रता के चार संरक्षक :

- **प्रजातंत्र की स्थापना :**
 - ✓ प्रजातंत्र कि स्थापना से राज्य में नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

- ✓ स्वतंत्रता की स्थापना के लिए लोकतंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है।
- ✓ प्रजातंत्र में शक्ति का स्रोत जनता होती है और शासन जनमत के आधार पर चलाया जाता है।
- ✓ स्वतंत्रता को छिनने वाली सरकार को प्रजातंत्र में आसानी से चुनाव द्वारा हटाया जा सकता है।

➤ मौलिक अधिकारों की घोषणा :

- ✓ स्वतंत्रता की सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की घोषणा संविधान के मौलिक अधिकार में ही कर दी जाये।
- ✓ संविधान में लिखे अधिकारों और स्वतंत्रता को कोई भी सरकार आसानी से उल्लंघन नहीं कर सकती है।

➤ शक्तियों का विकेंद्रीकरण :

- ✓ स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण बहुत ही जरूरी है।
- ✓ शक्तियों के केन्द्रीकरण से राज्य में निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है।
- ✓ जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और नागरिक उत्पीड़ित होते हैं।

➤ स्वतंत्र न्यायपालिका :

- ✓ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा संविधान के बाद यदि कोई करता है तो वो है न्यायपालिका।
- ✓ इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके।
- ✓ न्यायपालिका ही नागरिक अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।

➤ उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता :

- ✓ उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है, कि मनुष्य के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण नहीं हो और उसे अपने विवेक के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता हो । उनका मानना है कि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है ।

स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपाय:

एक सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता की रक्षा निम्न उपायों से की जा सकती है:

1. संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का संरक्षण।
2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता।
3. प्रेस की स्वतंत्रता और सक्रिय नागरिक समाज।
4. शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का विस्तार।
5. राज्य की जवाबदेही और पारदर्शिता।

स्वतंत्रता के प्रमुख हितधारक और उनके नैतिक दृष्टिकोण

हितधारक	भूमिका / हित	नैतिक विचार
व्यक्ति (Individual)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ स्वतंत्रता का प्राथमिक लाभार्थी। ➤ गरिमापूर्ण जीवन और निर्णय की स्वायत्तता। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामाजिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों का सम्मान। ➤ दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो। ➤ सार्वजनिक भलाई का ध्यान।
समाज (Society)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यवस्था और सामाजिक सद्व्यवहार बनाए रखना। ➤ सामूहिक हितों की रक्षा करना। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सामूहिक हितों के लिए आवश्यक सीमाएँ तय करना।
सरकार (Government)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ➤ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। ➤ सत्ता के मनमाने प्रयोग पर नियंत्रण रखना।
न्यायपालिका (Judiciary)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ विधि का शासन सुनिश्चित करना। ➤ न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा करना। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निष्पक्षता बनाए रखना। ➤ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। ➤ सरकार की जवाबदेही तय करना।
नागरिक समाज (Civil Society)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ➤ सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय रहना। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पारदर्शिता के साथ कार्य करना। ➤ निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सार्वजनिक भलाई को प्राथमिकता देना।

सकारात्मक स्वतंत्रता

- सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है – किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता या अवसर। यह स्वतंत्रता केवल किसी बाहरी हस्तक्षेप से बचाव नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक स्थिति की मांग करती है जो व्यक्ति को सशक्त बनाकर उसके आत्म-विकास में सहायक हो। यह मानती है कि व्यक्ति समाज से अलग होकर स्वतंत्र नहीं हो सकता, बल्कि उसे एक ऐसा समाज चाहिए जो उसकी क्षमताओं को उभारने का अवसर दे।
- सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को वह सशक्तिकरण” देती है जिससे वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इसमें सरकार और समाज की सक्रिय भूमिका आवश्यक मानी जाती है, जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर, और संसाधनों की उपलब्धता।
- **प्रमुख समर्थक विचारक:** जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, हेगेल।

नकारात्मक स्वतंत्रता

नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है – किसी व्यक्ति के जीवन के एक ऐसे क्षेत्र की रक्षा करना जिसमें बाहरी हस्तक्षेप न हो। यह वह पवित्र क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कुछ भी ”कर सकता है, बन सकता है या प्राप्त कर सकता है”, और कोई भी बाहरी शक्ति, जैसे – राज्य, धर्म या समाज – उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

- इस स्वतंत्रता में सरकार की भूमिका केवल हस्तक्षेप न करनेतक सीमित होती है। यह व्यक्ति को बाहरी नियंत्रण और बाधाओं से मुक्त रखने पर बल देती है, और यह सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति उसकी निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे।
- **प्रमुख समर्थक विचारक:** जॉन लॉक, इसैयाह बर्लिन।

सकारात्मक बनाम नकारात्मक स्वतंत्रता

पहलू	सकारात्मक स्वतंत्रता (Positive Liberty)	नकारात्मक स्वतंत्रता (Negative Liberty)
परिभाषा	अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता या अवसर।	बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहने की स्थिति।
दृष्टिकोण	सशक्तिकरण और आत्म-विकास पर बल।	गैर-हस्तक्षेप और व्यक्तिगत क्षेत्र की रक्षा पर बल।
सामाजिक भूमिका	समाज को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।	समाज या राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
सरकार की भूमिका	सक्रिय भूमिका – शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर प्रदान करना।	न्यूनतम भूमिका – केवल हस्तक्षेप से बचना।
स्वतंत्रता का लक्ष्य	अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और क्षमता का विकास।	अपने क्षेत्र में मनमुताबिक निर्णय लेने की आज़ादी।
समर्थक विचारक	रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेगेल।	जॉन लॉक, इसैयाह बर्लिन।

समानता (Equality)

- समानता राजनीति विज्ञान में एक मौलिक अवधारणा है जो समाज के भीतर व्यक्तियों और समूहों के बीच संसाधनों, अवसरों और अधिकारों के उचित वितरण पर केंद्रित है।